मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2014-कार्तिक 2, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा पुत्र सक्षम जैन, आयु 15 वर्ष जो वर्तमान में कक्षा 11 में अध्ययनरत है वह एमेरल्ड हाईट स्कूल इन्दौर में पढ़ रहा है. इससे पूर्व मेरा पुत्र हैप्पीडेज स्कूल शिवपुरी में अध्ययनरत था. प्रारंभिक शिक्षा से लेकर कक्षा 10वीं तक की शिक्षा तक मेरे पुत्र सक्षम जैन की अंकसूचियों में पिता का नाम प्रवीण जैन लिखा हुआ आ रहा है जो कि गलत है तथा कक्षा 10 की अंकसूची में प्रवीण जैन की जगह सिर्फ पी. जैन लिखा हुआ है जो कि पूर्ण रूप से गलत है क्योंकि मेरा पूरा नाम प्रवीण कुमार जैन है, इसलिये सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे इस नाम पर किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह 7 दिन के अन्दर विधिवत् नोटिस देकर अपनी आपत्ति मुझे दर्ज करा सकता है.

पुराना नाम :
(प्रवीण जैन)

नया नाम :
(प्रवीण कुमार जैन)
पुत्र श्री प्रकाशचंद जैन,
निवासी-चौधरी मोहल्ला, कोलारस,
तह. कोलारस, जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश).

(385-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे पुत्र सार्थक के दस्तावेजों में मेरा नाम सार्थक पिता राजेश चौधरी हो गया है जो गलत है. मेरा वास्तविक नाम अरविंद चौधरी है. अतः आगे से सार्थक पिता अरविंद चौधरी के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(राजेश चौधरी)

नया नाम :
(अरविंद चौधरी)
जैतपुरा, देवास (मध्यप्रदेश).

(389-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र आदर्श हिन्दुजा के जन्म प्रमाण-पत्र में त्रुटिवश पिता का नाम गौतम हिन्दुजा अंकित है, जबकि आदर्श हिन्दुजा के पिता का सही नाम गुरमुख हिन्दुजा है, जो आगे इसी नाम से जाना जावेगा.

पुराना नाम :
(गौतम हिन्दुजा)

नया नाम :
(गुरमुख हिन्दुजा)

(366-बी.)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती मोहिनी वैद्य पत्नी श्री मनोज वैद्य, निवासी-ए-93, अलकापुरी भोपाल (मध्यप्रदेश) यह कि मुझ प्रार्थिनी का शादी से पहले नाम स्वाती सराफ था जो कि हाईस्कूल की अंकसूची में अंकित है.

अत: प्रार्थिनी ने अपना नाम स्वाती सराफ के स्थान पर श्रीमती मोहिनी वैद्य रख लिया है. मुझे भविष्य में श्रीमती मोहिनी वैद्य के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(स्वाती सराफ)

नया नाम :
(मोहिनी वैद्य)

(390-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Veenavadini Joshi D/o Suresh Joshi born on 26-05-1964 shall henceforth be known as Raginee Patwardhan W/o Ravindra Patwardhan. Affidavit No. 5455/2014.

पुराना नाम :
(वीणावादिनी जोशी)
D/o सुरेश जोशी.

नया नाम :
(रागिनी पटवर्धन)
W/o रविन्द्र पटवर्धन,
409, लोक मान्य नगर,
इन्दौर (मध्यप्रदेश).

(386-बी.)

नाम परिवर्तन

स्कूली दस्तावेज में मेरा नाम जगदीश पिता औंकारलाल यादव दर्ज किया गया है. अब मैंने अपना नाम गंगाराम यादव पिता औंकारलाल यादव कर दिया है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना तथा पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(जगदीश)

नया नाम :
(गंगाराम यादव)
पिता औंकारलाल यादव,
६/५, छोटी ग्वाल टोली, इन्दौर.

(391-बी.)

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm " M/s ANKIT TRADERS " of Bhopal *Vide* Reg. No. 01/01/01/00487/2013, Dated 19-02-2013 undergone the following changes:-

1. That Shri Ajit Singh Gurjar S/o Shri Narendra Singh Gurjar has Joined the Partnership firm w. e. f. 01-04-2014 and Shri Prem Narayan Gupta S/o Lt. Shri B. D. Gupta has expressed has desire to retire from the Partnership firm w. e. f. 01-04-2014.

Veer Singh ,
" M/s ANKIT TRADERS ",
23, Ahinsha Vihar, Ayodhya,
By Pass Road, Bhopal.

(387-B.)

भागेदारी अनुबन्ध समाप्त करने की सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, हम दोनों पार्टनर (1) आनंद कुमार मिश्रा पिता स्व. श्री राजेश्वर प्रसाद मिश्रा, (2) अजय कुमार कोल पिता श्री एच. एल. कोल, पार्टनर कश्यप ट्रेडर्स आम सहमति से भागीदारी अनुबन्ध समाप्त कर रहे हैं. हम लोगों का एक दूसरे के ऊपर कोई बकाया लेनदारी व देनदारी नहीं है.

आनंद कुमार मिश्रा,
kashyap Traders,
Gurh Chouk, Rewa (M.P.).

(388-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म वैरायटी स्टोर्स कटरा बाजार सागर मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन क्र. 06/09/01/00070/17, दिनांक 12 अगस्त, 2014 में नवीन भागीदार के रूप में श्री विनीत सिंघई को दिनांक 01 अप्रैल, 2013 को फर्म के भागीदार के रूप में फर्म में शामिल किया गया है.

उक्त सम्बन्ध में यदि किसी को आपत्ति हो तो 7 दिवस के अंदर फर्म के कार्यालय में सूचित करें.

पूर्व में भागीदार,
श्री रमेशचंद्र जैन,
श्री अमित सिंघई,
फर्म मैसर्स-वैरायटी स्टोर्स, नगर निगम
मार्केट के पीछे, कटरा बाजार, सागर (मध्यप्रदेश).

(392-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014

अल्प-अवधि निविदा सूचना

(पी. एस. प्लेट एवं केमिकल्स)

क्र. जी.बी.चार/प्रिंटिंग (1) 2014-15/3008.—*ऑनलाईन बिडिंग* **https://www.mpeproc.gov.in** पर ई-टेण्डर से शासकीय मुद्रणालय, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा के लिये पी. एस. प्लेट एवं केमिकल्स क्रय हेतु निर्माता/एजेंट/डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर्स से निविदाएं दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 अपराह्न 2.00 बजे तक **की-डेट्स** अनुसार आमंत्रित की जाती हैं.

2. ई-टेण्डर डाक्युमेंट में प्रस्तुत तकनीकी भाग की हार्ड कॉपी एवं सूची नमूने सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में की-डेट्स अनुसार जमा कराना होगा.

3. निविदा की शर्तें एवं निविदा के अनुबंध का प्रारूप वेबसाईट **www.govt.pressmp.nic.in** पर अवलोकन हेतु रखा गया है.

4. सूचना/संशोधन/सुधार की स्थिति में जानकारी केवल वेबसाईट **https://www.mpeproc.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी.

(828)

Bhopal, Dated 14th October, 2014

SHORT TENDER NOTICE

(P. S. Plates and chemicals)

No.GB-IV-Printing(1)2014-15/3008.—*ONLINE Bidding go through* IT Department Portal **(https://www.mpeproc.gov.in)** for the Govt. Printing Press, Bhopal, Gwalior, Indore and Rewa for supply of P. S. Plates and chemicals from the manufacturers/ Agents/Dealers /Distributors through E-Tenders are invited on or before 2.00 P.M. on 28th October, 2014 as per Key-Dates.

2. Hard Copy of the Technical document and sample of the items with list must be received at the office of the undersigned as per key dates.

3. Tender Document and agreement details of tender are also available at website **www.govt.pressmp.nic.in.**

4. All corrigendum/amendments/changes; if any will only be issued and made available only on **https://www.mpeproc.gov.in**

(828-A)

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014

अल्प-अवधि निविदा सूचना

(प्रिंटिंग इंक)

क्र. जी.बी.चार/प्रिंटिंग (1) 2014-15/3009.—*ऑनलाईन बिडिंग* **https://www.mpeproc.gov.in** पर ई-टेण्डर से शासकीय मुद्रणालय,

भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा के लिये प्रिंटिंग इंक क्रय हेतु निर्माता/एजेंट/डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर्स से निविदाएं दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 अपराह्न 2.00 बजे तक **की-डेट्स** अनुसार आमंत्रित की जाती हैं.

2. ई-टेण्डर डाक्युमेंट में प्रस्तुत तकनीकी भाग की हार्ड कॉपी एवं सूची नमूने सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में की-डेट्स अनुसार जमा कराना होगा.

3. निविदा की शर्तें एवं निविदा के अनुबंध का प्रारूप वेबसाईट **www.govt.pressmp.nic.in** पर अवलोकन हेतु रखा गया है.

4. सूचना/संशोधन/सुधार की स्थिति में जानकारी केवल वेबसाईट **https://www.mpeproc.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी.

(828-B)

Bhopal, Dated 14th October, 2014

SHORT TENDER NOTICE

(Printing Inks)

No.GB-IV-Printing(1)2014-15/3009.—*ONLINE Bidding go through* IT Department Portal **(https://www.mpeproc.gov.in)** for the Govt. Printing Press, Bhopal, Gwalior, Indore and Rewa for purchase of Printing Inks from the manufacturers/ Agents/Dealers /Distributors through E-Tenders are invited on or before 2.00 P.M. on 28th October, 2014 as per Key-Dates.

2. Hard Copy of the Technical document and sample of the items with list must be received at the office of the undersigned as per key dates.

3. Tender Document and agreement details of tender are also available at website **www.govt.pressmp.nic.in.**

4. All corrigendum/amendments/changes; if any will only be issued and made available only on **https://www.mpeproc.gov.in**

RENU TIWARI,
Controller,
Govt. Printing and Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

(828-C)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, अनूपपुर जिला अनूपपुर

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष : रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट अनूपपुर, जिला अनूपपुर (मध्यप्रदेश).

क्र. 1896/री.एसडीओ/ट्रस्ट/2014.—जैसा कि रामजानकी चैरिटेबल ट्रस्ट अनूपपुर, जिला-अनूपपुर ने मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2014 को विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति द्वारा ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के माध्यम से या अधिवक्ता के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम	. .	श्री रामजानकी चैरिटेबल ट्रस्ट अनूपपुर, जिला-अनूपपुर
अचल सम्पत्ति	:	ग्राम सामतपुर की भूमि खसरा क्रमांक 306/55, रकबा 0.061, 386/2 रकबा 0.036, 442/7 रकबा, 0.081 एवं खसरा क्रमांक 61/5 रकबा, 0.486 हैक्टेयर.
चल सम्पत्ति	:	भगवान के आभूषण, श्रृंगार सामग्री बर्तन, विछावन एवं पूजा सामग्री (मूल्य उल्लिखित नहीं)

मिनिषा पाण्डेय,
अनुविभागीय अधिकारी.

(823)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील हुजूर, भोपाल

प्र.क्र. /बी-113/2013-14.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि '' लायन ई-टेक फाउंडेशन (लीफॉन) न्यास'' लॉयन टावर दूसरी मंजिल, एलीगेट स्टेट, मदर टेरेसा स्कूल के पास कोलार रोड, भोपाल की ओर से श्री नवनीत शर्मा प्रबंधक न्यासी '' लायन ई-टेक फाउंडेशन (लीफॉन) न्यास'' लॉयन टावर दूसरी मंजिल, एलीगेट स्टेट, मदर टेरेसा स्कूल के पास कोलार रोड, द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के ''एक माह'' के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	:	श्री नवनीत शर्मा प्रबंधक न्यासी '' लायन ई-टेक फाउंडेशन (लीफॉन) न्यास लॉयन टावर दूसरी मंजिल, एलीगेट स्टेट, मदर टेरेसा स्कूल के पास कोलार रोड.
चल सम्पत्ति	:	1,00,000/-नगद राशि
अचल सम्पत्ति	:	—

आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

माया अवस्थी,
रजिस्ट्रार.

(825)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सैलाना, जिला रतलाम

प्र. क्र. 04/बी-113(1)/2013-14.

चूँकि श्री अणु स्थानकवासी श्रावक संघ सैलाना, जिला रतलाम द्वारा अध्यक्ष श्री अरविन्द पिता कान्तिलाल संघवी, निवासी सदर बाजार सैलाना, ट्रस्ट बोर्ड पुनर्निर्माण सार्वजनिक पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1959, 02-06-1959 की धारा-4 (चार) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गयी संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतएव सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई दिनांक 27 अगस्त, 2014 को होगी. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचित हो तो इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप की सूचना हो या सुझाव देना हो तो वह इस विज्ञप्ति के जारी होने के एक माह के भीतर की अवधि में न्यायालय में अपने वकील, अखवार एजेण्डा के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आरोपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(ट्रस्ट की सम्पत्ति का विवरण)

1. संस्था (ट्रस्ट) के नाम से एक भवन जो कि नेहरू मार्ग, वार्ड क्रमांक-5 में दो हिस्सों में स्थिति है, जो ट्रस्ट के द्वारा ट्रस्टीयों व अन्य समाजजन के द्वारा दिये गये दान की राशि से जरिये पंजीकृत बेचान रजिस्ट्री के 2,22,000/- (दो लाख बाईस हजार रुपये) में क्रय किया गया है, जो कि विक्रताओं के द्वारा न्यूनतम राशि में ही विक्रय किया गया है. उक्त मकान नगर पंचायत सैलाना के असेसमेंट रजिस्टर पर मकान नम्बर 54 व 56 के रूप में श्री अणु स्थानकवासी श्रावक संघ सैलाना के नाम से दर्ज है.

2. संस्था के पदाधिकारियों से सहायता राशि 5,500/- प्राप्त हुई है.

के. सी. जैन,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(826)

न्यायालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी बासौदा, जिला विदिशा

प्र. क्र. 01/बी-113/2014-15. **प्रारूप-पाँच**

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (1) व 5 (2) के अंतर्गत]

समक्ष :-पंजीयक, लोक न्यास गंजबासौदा, जिला विदिशा के समक्ष

अध्यक्ष श्री रामकमलदास वेदांती, द्वारा श्री श्रीरामानंद विश्व हितकारिणी परिषद् वेदांत आश्रम जगन्नाथपुरी, ग्राम जीवाजीपुर, तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा का मध्यप्रदेश के लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-2 की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिए पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है उक्त ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति पंजीयन हेतु मेरे न्यायालय में प्रकरण चल रहा है जिस पर दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को मेरे द्वारा विचार किया जावेगा.

उक्त लोक न्यास एवं चल-अचल सम्पत्ति के पंजीयन किये जाने के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के अन्दर स्वयं अथवा किसी अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1.	न्यास का नाम	:	श्री श्रीरामानंद विश्व हितकारिणी परिषद् वेदांत आश्रम जगन्नाथपुरी, ग्राम जीवाजीपुर, तहसील बासौदा, जिला विदिशा (म. प्र.).
2.	न्यास का कार्यालय	:	श्री श्रीरामानंद विश्व हितकारिणी परिषद् वेदांत आश्रम जगन्नाथपुरी, ग्राम जीवाजीपुर, तहसील बासौदा, जिला विदिशा (म. प्र.).
3.	न्यास का कार्य क्षेत्र	:	सम्पूर्ण भारत एवं विश्व के वह देश जहाँ सनातन धर्मावलम्बी, निवास करते हैं.
4.	न्यास का उद्देश्य	:	सनातन धर्म एवं धर्मावलंबियों के सांस्कृतिक विकास व सामाजिक उत्थान के समस्त कार्य, समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना व धर्म का प्रचार-प्रसार करना व संस्कृत विद्यालय का संचालन व धार्मिक कार्य सम्पादित करना इत्यादि.
5.	न्यास के आय के साधन	:	दान, चंदा आदि.

श्री रामानंद विश्व हितकारिणी परिषद् वेदांत आश्रम जगन्नाथपुरी, जीवाजीपुर, तहसील बासौदा, जिला विदिशा (मध्यप्रदेश) की चल-अचल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है :-

चल सम्पत्ति	:	2,76,122/-
अचल सम्पत्ति	:	ग्राम जीवाजीपुर, तहसील बासौदा में कुल रकबा 1.465 हे.अनुमानित कीमत 20,00,000/-.

ओ. पी. श्रीवास्तव,
रजिस्ट्रार.

(830)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, पूर्व (सा.) वनमण्डल, मण्डला

प्रकरण का विवरण :- परिक्षेत्र मवई अंतर्गत बीट मवई में बीट हैमर, निम्नानुसार आकृति का प्रदाय किया गया था, जिसे परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा श्री क्रान्ति कुमार राठौर, वनपाल परिसर प्रभारी मवई को विभागीय कार्य क्रियान्वयन हेतु प्रदाय किया गया था. परिक्षेत्र अधिकारी मवई के पत्र क्रमांक/568, दिनांक 01 सितम्बर, 2014 एवं 591, दिनांक 03 सितम्बर, 2014 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वनपाल की लापरवाही से हैमर गुमा देने की सूचना प्राप्त हुई है. उक्त पत्र में संलग्न रिपोर्ट के अनुसार वनपाल श्री क्रान्ति कुमार राठौर, द्वारा थाना प्रभारी मवई को उक्त गुमशुदा हैमर की सूचना दिनांक 26 जनवरी, 2014 को दी गई.

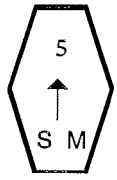

आदेश

आदेश क्रमांक 292 मण्डला, दिनांक 11 सितम्बर, 2014

वन वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए निम्नांकित आकृति का 1 बीट हेमर भण्डार से अपलेखित करने एवं हेमर के पुस्तकीय मूल्य रुपये 97/- वसूल करने का आदेश दिया जाता है. किन्हीं भी व्यक्ति द्वारा अंकित आकृति के हेमर का उपयोग करते हुए पाये जाने पर अवैधानिक होगा. उपरोक्त हेमर किसी व्यक्ति को मिले तो वे तत्काल निकटवर्ती पुलिस थाने या अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में जमा करें.

इस विज्ञप्ति के पश्चात् यदि कोई व्यक्ति के द्वारा उक्त हेमर गुम दिनांक से अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध दण्ड विधान के अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

लालजी मिश्रा,

(827) वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/566.—यह कि ब्रम्हा पशुपालन सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1822, दिनांक 03 मई, 2001 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/253, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कर्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये ब्रम्हा पशुपालन सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री विवेक पिम्पलीकर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/567.—यह कि महाराजा पशुपालन सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1856, दिनांक 28 मई, 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/254, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षक करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-

बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये महाराजा पशुपालन सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री चन्द्रेश पटेल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-A)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/568.—यह कि भारत बकरा-बकरी पशुपालन सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1763, दिनांक 27 अप्रैल, 2000 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/255, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये भारत बकरा-बकरी पशुपालन सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री चन्द्रेश पटेल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-B)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/569.—यह कि ज्योति पशुपालन सहकारी समिति मर्यादित, सीवल, पंजीयन क्रमांक 1939, दिनांक 13 सितम्बर, 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/256, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर

संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये ज्योति पशुपालन सहकारी समिति मर्यादित, सीवल को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री चन्द्रेश पटेल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-C)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/570.—यह कि उमा पशुपालन सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर , पंजीयन क्रमांक 21, दिनांक 06 अक्टूबर, 2012 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/257, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये उमा पशुपालन सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री दिनेश गुप्ता, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-D)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/571.—यह कि रेणुका देवी मत्स्यद्योग सहकारी समिति मर्यादित, नेपानगर, पंजीयन क्रमांक 1921, दिनांक 05 जुलाई, 2004

को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/258, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये रेणुका देवी मत्स्यद्योग सहकारी समिति मर्यादित, नेपानगर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री चन्द्रेश पटेल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-E)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/572.—यह कि जय माँ ताप्ती मत्स्यद्योग सहकारी समिति मर्यादित, दर्यापुर, पंजीयन क्रमांक 1948, दिनांक 23 नवम्बर, 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/259, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये जय माँ ताप्ती मत्स्यद्योग सहकारी समिति मर्यादित, दर्यापुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री चन्द्रेश पटेल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-F)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/573.—यह कि जय जलदेव बाबा मत्स्यद्योग सहकारी समिति मर्यादित, सिवल, पंजीयन क्रमांक 14, दिनांक 10 जुलाई, 2012 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/260, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये जय जलदेव बाबा मत्स्यद्योग सहकारी समिति मर्यादित, सिवल को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री चन्द्रेश पटेल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-G)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/574.—यह कि मित्र मण्डल मत्स्यद्योग सहकारी समिति मर्यादित, रगई, पंजीयन क्रमांक 22, दिनांक 24 जनवरी, 2013 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/261, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999

द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये मित्र मण्डल मत्स्यद्योग सहकारी समिति मर्यादित, रगई को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री चन्द्रेश पटेल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-H)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/575.—यह कि डोंगरगांव दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, डोंगरगांव, पंजीयन क्रमांक 25, दिनांक 26 फरवरी, 2013 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/262, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये डोंगरगांव दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, डोंगरगांव को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री चन्द्रेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-I)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/576.—यह कि प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित, धूलकोट, पंजीयन क्रमांक 1403, दिनांक 31 अक्टूबर, 1990 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/263, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित, धूलकोट को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री चन्द्रेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-J)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/577.—यह कि प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित, नेपानगर, पंजीयन क्रमांक 1406, दिनांक 31 अक्टूबर, 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/264, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित, नेपानगर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री चन्द्रेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-K)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/578.—यह कि सर्वोदय सिन्थेटिक प्रोसेसिंग सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1771, दिनांक 02 अगस्त, 2000 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/266, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो

अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये सर्वोदय सिन्थेटिक प्रोसेसिंग सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री चन्द्रेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-L)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/579.—यह कि अमर मुद्रण औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक1816, दिनांक 28 फरवरी, 2001 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/267, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये अमर मुद्रण औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री चन्द्रेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-M)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/580.—यह कि शाह जरी उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक1871, दिनांक 28 फरवरी, 2001 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/268, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों

के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये शाह जरी उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री चन्द्रेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-N)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/581.—यह कि अमर महिला रेडीमेड औद्योग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1904, दिनांक 16 फरवरी, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/269, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये अमर महिला रेडीमेड औद्योग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री चन्द्रेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-O)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/582.—यह कि के. जी. एन. बेकरी एण्ड फुड प्रोड्क्ट औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1985, दिनांक 22 दिसम्बर, 2006 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/271, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन कराना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये के. जी. एन. बेकरी एण्ड फुड प्रोड्क्ट औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एच. सी. महाजन, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-P)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/583.—यह कि मॉ शारदा औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, नेपानगर, पंजीयन क्रमांक 2033, दिनांक 23 जुलाई, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/272, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये मॉ शारदा औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, नेपानगर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एच. सी. महाजन, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-Q)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/584.—यह कि चॉदनी गृह उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, चॉदनी, पंजीयन क्रमांक 2033, दिनांक 23 जुलाई, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/273, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये चॉदनी गृह उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, चॉदनी को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एच. सी. महाजन, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-R)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/585.—यह कि स्वामी समर्थ औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 2035, दिनांक 23 जुलाई, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/274, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु

सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये स्वामी समर्थ औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एच. सी. महाजन, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-S)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/586.—यह कि शितला माता गृह उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, नेपानगर, पंजीयन क्रमांक 2036, दिनांक 23 जुलाई, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/275, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये शितला माता गृह उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, नेपानगर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एच. सी. महाजन, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-T)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/587.—यह कि केन्द्रीय औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, देडतलाई, पंजीयन क्रमांक 2138, दिनांक 13 जुलाई, 2009 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/277, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, देडतलाई को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एस. एन. टाले, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-U)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/588.—यह कि तिरूपति प्लास्टिक उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1820, दिनांक 22 फरवरी, 2001 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/278, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये तिरूपति प्लास्टिक उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एच. सी. महाजन, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-V)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/589.—यह कि डाकतार विभाग कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1331, दिनांक

08 जून, 1984 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/279, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये डाकतार विभाग कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एच. सी. महाजन, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-W)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/590.—यह कि शासकीय कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर , पंजीयन क्रमांक 1668, दिनांक 22 जून, 1998 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/280, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये शासकीय कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एच. सी. महाजन, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-X)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/591.—यह कि धनश्री साख सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर , पंजीयन क्रमांक 1851, दिनांक 01 अप्रैल, 2002 को

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/281, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये धनश्री साख सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एस. एन. टाले, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(820-Y)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/592.—यह कि लक्ष्मीनारायण क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1896, दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/282, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये लक्ष्मीनारायण क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एस. एन. टाले, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जे. एल. बरडे,
उप-पंजीयक.

(820-Z)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मनासा, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 813, दिनांक 28 मार्च, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/1406, शाजापुर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जून, 2014 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(803)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पलसावद, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-156, दिनांक 15 अप्रैल, 1980 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/616, शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पलसावद, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-156, दिनांक 15 अप्रैल, 1980 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री बी. एस. भवर, व.स.नि. को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(803-A)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गुलाना, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-482, दिनांक 29 मार्च, 1988 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/617, शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक

की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गुलाना, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-482, दिनांक 29 मार्च, 1988 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री बी. एस. भवर, व.स.नि. को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(803-B)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, घनसौदा, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-540, दिनांक 07 जुलाई, 1990 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/631, शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, घनसौदा, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-540, दिनांक 07 जुलाई, 1990 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री बी. एस. भवर, व.स.नि. को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(803-C)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पेवची, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-922, दिनांक 30 अगस्त, 2005 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/658, शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पेवची, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-922, दिनांक 30 अगस्त, 2005 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री बी. एस. भवर, व.स.नि. को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(803-D)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शिवगढ, तहसील आगर, जिला आगर, पंजीयन क्रमांक-352, दिनांक 24 दिसम्बर, 1985 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/605, शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शिवगढ, तहसील आगर, जिला आगर, पंजीयन क्रमांक-352, दिनांक 24 दिसम्बर, 1985 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. सी. बीजापारी, व.स.नि. को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(803-E)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आखाखेडी, तहसील आगर, जिला आगर, पंजीयन क्रमांक-268, दिनांक 17 जनवरी, 1984 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/603, शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आखाखेडी, तहसील आगर, जिला आगर, पंजीयन क्रमांक-268, दिनांक 17 जनवरी, 1984 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. सी. बीजापारी, व.स.नि. को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(803-F)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आनन्दीखेडी, तहसील मो. बडोदिया, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-811, दिनांक 28 फरवरी, 2002 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/597, शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आनन्दीखेडी, तहसील मो. बडोदिया, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-811, दिनांक 28 फरवरी, 2002 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. सी. बीजापारी, व.स.नि. को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(803-G)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सनावदी, तहसील आगर, जिला आगर, पंजीयन क्रमांक-630, दिनांक 30 जून, 1994 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/606, शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सनावदी, तहसील आगर, जिला आगर, पंजीयन क्रमांक-630, दिनांक 30 जून, 1994 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. सी. बीजापारी, व.स.नि. को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(803-H)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुदवास, तहसील बडौद, जिला आगर, पंजीयन क्रमांक-199, दिनांक 07 सितम्बर, 1981 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/613, शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुदवास, तहसील बडौद, जिला आगर, पंजीयन क्रमांक-199, दिनांक 07 सितम्बर, 1981 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आरिफ खान, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. मालवीय,
उप-पंजीयक.

(803-I)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 02 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घनसौदा	540/07-07-1990	893/19-08-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पेवची	922/30-08-2005	894/19-08-2014
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पलसावद	156/15-04-1980	891/19-08-2014
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुलाना	482/29-03-1988	892/19-08-2014

अत: मैं, बी. एस. भवर, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

बी. एस. भवर,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(804)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 02 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझ

अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खामखेडा (सुन्दरसी)	265/31-12-1983	918/19-08-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौसलाकुल्मी	419/07-09-1987	919/19-08-2014
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खडी	1043/29-12-2010	917/19-08-2014

अत: मैं, अशोक मालवीय, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त, (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

अशोक मालवीय,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(805)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 02 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कानाखेडा	1011/09-11-2009	922/19-08-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिजनाखेडी	580/27-07-1991	920/19-08-2014
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., राघवेल	592/12-09-1991	921/19-08-2014

अत: मैं, एन. एस. भाटी, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त, (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

एन. एस. भाटी,
परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी.

(806)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 02 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पोलायकला	223/26-08-1983	923/19-08-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शीतलानगर	1048/12-07-2011	926/19-08-2014
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बावनहेडा	1021/11-05-2010	925/19-08-2014
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बांकाखेड़ी	852/17-01-2003	924/19-08-2014

अत: मैं, आर. एस. जरिया, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त, (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आर. एस. जरिया,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(807)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 02 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सनावदी	630/30-06-1994	898/19-08-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शिवगढ़	352/24-12-1985	895/19-08-2014
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आखाखेडी	268/17-01-1984	896/19-08-2014
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आनन्दीखेडी	811/28-02-2002	897/19-08-2014

अत: मैं, आर. सी. बीजापारी, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला

शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आर. सी. बीजापारी,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(808)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 02 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुआखेडी	1017/22-02-2010	903/19-08-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तलेनी	401/09-02-1987	905/19-08-2014
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडौदराणा	894/12-10-2004	904/19-08-2014

अतः मैं, मनीष चौधरी, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

मनीष चौधरी,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(809)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 02 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	कर्मचारी विकास साख सहकारी संस्था मर्या., शाजापुर	573/27-03-1991	936/19-08-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बज्जाहेडा	462/14-01-1988	935/19-08-2014
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निशाना	756/31-03-2001	934/19-08-2014

अतः मैं, आर. के. खटीक, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण)सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त, (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आर. के. खटीक,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(810)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 02 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उमरसिंगी	309/27-01-1984	942/19-08-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सखेडी	154/05-04-1980	943/19-08-2014
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मकोडी	147/25-01-1980	941/19-08-2014
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रानीबडौद	150/25-01-1980	940/19-08-2014

अतः मैं, कमल कांगले, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

कमल कांगले,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(811)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 02 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझ

अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसुडल्या पातला	555/07-07-1990	912/19-08-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डोराबाद	766/06-09-2001	911/19-08-2014
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामपुरा	895/01-11-2004	910/19-08-2014
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिल्याखेडी	971/17-06-2008	909/19-08-2014

अत: मैं, आर. के. असाटी, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त, (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आर. के. असाटी,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(812)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 02 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., डिगोन	1054/13-09-2011	902/19-08-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुदवास	199/07-09-1981	899/19-08-2014
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गरबडा	200/07-09-1981	900/19-08-2014
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उद्देपुर	899/01-11-2001	901/19-08-2014

अत: मैं, मो. आरिफ खान, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त, (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

मो. आरिफ खान,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(813)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 02 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	हरिओम साख सहकारी संस्था मर्या., नलखेडा	05/22-02-2001	947/19-08-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कांकरिया	295/11-10-1984	946/19-08-2014
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुमराखेडी	191/25-05-1981	944/19-08-2014
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बापचा बडौद	344/24-10-1985	945/19-08-2014

अत: मैं, योगेश शर्मा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त, (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

योगेश शर्मा,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(814)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 02 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	प्रियदर्शिनी साख सहकारी संस्था मर्या., शुजालपुर	10/31-10-2001	933/19-08-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अखत्यारपुर	806/26-03-2002	931/19-08-2014
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उचौद	920/30-08-2005	930/19-08-2014
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गणेशपुर	865/18-09-2003	932/19-08-2014

अत: मैं, पं. विनोद शर्मा, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त, (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

पं. विनोद शर्मा,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(815)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 02 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सोयतकला	868/31-10-2003	908/19-08-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लालाखेडी (सोयत)	329/24-10-1985	906/19-08-2014
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोलकी	483/21-03-1988	907/19-08-2014

अत: मैं, अशोक कुमार बोहरा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण)सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त, (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

अशोक कुमार बोहरा,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(816)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 20 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	जय भवानी साख सहकारी संस्था मर्या., आगर	941/07-06-2006	939/19-08-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झलारा-II	487/16-05-1988	938/19-08-2014
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुडियादेव	270/17-01-1984	937/19-08-2014

अत: मैं, एम. के. भटनागर, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

एम. के. भटनागर,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(817)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 29 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, घट्टीमुख्तयारपुर	993/13-02-2009	929/19-08-2014
2.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, गुणपीपली	989/13-02-2009	928/19-08-2014
3.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बाईगांव	964/10-01-2008	927/19-08-2014

अत: मैं,नवीन शर्मा, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त, (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

नवीन शर्मा,

(818) परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 02 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., श्यामपुर नानूखेडी	765/06-09-2001	916/19-08-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कौलवा	712/31-03-1979	915/19-08-2014
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुमेर	520/16-10-1989	913/19-08-2014
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अजीत पुरउगाय	476/26-10-1989	914/19-08-2014

अत: मैं, डी. के. आर्य, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त, (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

डी. के. आर्य,

(819) परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2014-कार्तिक 2, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 25 जून, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील पोरसा, कैलारस (मुरैना), कराहल (श्योपुर), ग्वालियर, भितरवार (ग्वालियर), शिवपुरी, खनियाधाना, कोलारस (शिवपुरी), गुना, बमोरी, कुंभराज (गुना), पृथ्वीपुर, जतारा, पलेरा (टीकमगढ़), नौगांव (छतरपुर), अजयगढ़, गुन्नौर, शाहनगर (पन्ना), सिरमौर, रामपुर-कर्चुलियान (रीवा), मानपुर (उमरिया), मंदसौर (मंदसौर), बड़नगर, नागदा (उज्जैन), शाजापुर, शुजालपुर, गुलाना (शाजापुर), जोबट, अलीराजपुर, कट्टीबाड़ा, उदयगढ़, च. शेखर आजाद नगर, (अलीराजपुर), कुक्षी (धार), बड़वानी (बड़वानी), लटेरी, सिरोंज, ग्यारसपुर (विदिशा), आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुधनी (सीहोर), घोड़ाडोंगरी, चिचोली, बैतूल, आमला, (बैतूल), सिवनी-मालवा, होशंगाबाद (होशंगाबाद), पाटन (जबलपुर), विजयराघवगढ़, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा (कटनी), छिन्दवाड़ा, परासिया, पांढुर्णा, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील बदरवास (शिवपुरी), राघोगढ़, चाचोड़ा (गुना), रहली, राहतगढ़, मालथोन (सागर), पथरिया, जवेरा, पटेरा (दमोह), हुजूर (रीवा), ब्यौहारी (शहडोल), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), रामपुरनैकिन (सीधी), तराना (उज्जैन), कालापीपल (शाजापुर), सोण्डवा (अलीराजपुर), हजूर (भोपाल), सीहोर (सीहोर), शाहपुर (बैतूल), सोहागपुर, पिपरिया, वनखेड़ी (होशंगाबाद), सीहोरा, जबलपुर, मझौली, कुन्डम (जबलपुर), बरही (कटनी), निवास, नारायणगंज (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी), जुन्नारदेव, तामिया, अमरवाड़ा, बिछुआ, हर्रई (छिन्दवाड़ा), सिवनी, बरघाट, कुरई (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील सबलगढ़ (मुरैना), डबरा (ग्वालियर), पोहरी (शिवपुरी), निवाड़ी (टीकमगढ़), पवई (पन्ना), खुरई, गढ़ाकोटा (सागर), हटा, तेन्दूखेड़ा (दमोह), गुढ़ (रीवा), बुढ़ार, जैसिंहनगर (शहडोल), जैतहारी, अनूपपुर, कोतमा (अनूपपुर), मझोली, चुरहट (सीधी), घटिया, उज्जैन (उज्जैन), डही (धार), कुरवाई, नटेरन (विदिशा), कटनी, रीठी (कटनी), विछिया, घुघरी (मण्डला), सोंसर, चौरई (छिन्दवाड़ा), शाहपुरा (डिण्डोरी), लखनादौन, छपारा (सिवनी), बैहर, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ड) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील टीकमगढ़, ओरछा (टीकमगढ़), पन्ना (पन्ना), बीना, बंडा, सागर, देवरी, केसली, शाहगढ़ (सागर), बटियागढ़, दमोह (दमोह), मऊगंज, हनुमना (रीवा), सोहागपुर, गोहपारू, जैतपुर (शहडोल), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), गोपदबनास, सिंहावल, कुसमी (सीधी), महिदपुर (उज्जैन), बसौदा, विदिशा (विदिशा), बैरसिया (भोपाल), पचमढ़ी (होशंगाबाद), नैनपुर, मण्डला (मण्डला), घन्सौर, घनौरा (सिवनी), बालाघाट, लांजी, वारासिवनी (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, धार, बड़वानी, बुरहानपुर, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा, सिवनी में खरीफ फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला डिण्डोरी में फसल मक्का व श्योपुर, सागर, रीवा, जबलपुर, मण्डला, छिन्दवाड़ा, सिवनी में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**— . .

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, शहडोल, नीमच, बड़वानी, विदिशा, भोपाल, बैतूल, छिन्दवाड़ा में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 25 जून, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	3.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	52.0				
6. कैलारस	10.0				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. श्योपुर	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	14.5		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	0.1		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	50.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	13.2				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	15.0		4. (1) गन्ना अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	5.0				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	7.0				
7. पोहरी	53.0				
8. बदरवास	25.0				

1	2	3	4	5	6
***जिला अशोकनगर:**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मुंगावली	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	4.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. राघोगढ़	25.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	8.0				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	18.0				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	2.0				
जिला टीकमगढ़:	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	53.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	16.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	2.0				
4. टीकमगढ़	62.0				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	9.0				
7. ओरछा	56.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. लवकुशनगर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	1.0				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	6.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	84.5		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	10.0				
4. पवई	42.0				
5. शाहनगर	13.0				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	67.4	चालू है.	4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	45.4		राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	56.4		समान.		
4. सागर	165.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	32.2				
6. देवरी	102.0				
7. गढ़ाकोटा	51.8				
8. राहतगढ़	34.9				
9. केसली	86.0				
10. मालथोन	30.6				
11. शाहगढ़	65.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	46.0		4. (1) उड़द, मूंग, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	60.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	69.3				
4. पथरिया	29.0				
5. जवेरा	23.0				
6. तेन्दूखेड़ा	42.0				
7. पटेरा	26.0				
***जिला सतना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .	चालू है.	4. (1) गेहूँ अधिक. चना, मसूर, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	6.2		कम. अरहर, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	105.0		(2) . .		
4. हनुमना	100.2				
5. हजूर	25.4				
6. गुढ़	36.0				
7. रायपुरकर्चुलियान	11.0				
8. नई गढ़ी	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	59.0		4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, चना, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	32.0		तिवड़ा.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहपारू	70.0		(2) . .		
4. जैसिंहनगर	37.0				
5. बुढ़ार	42.7				
6. जैतपुर	100.0				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	40.2		4. (1) धान, मक्का कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	48.7		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	51.7				
4. पुष्पराजगढ़	80.1				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. बांधवगढ़	29.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	20.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	15.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	124.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. सिंहावल	78.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	49.1				
4. कुसमी	78.0				
5. चुरहट	46.2				
6. रामपुरनैकिन	28.5				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	5.0				
6. शामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10.कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	61.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	34.0				
4. घटिया	40.0				
5. उज्जैन	36.0				
6. बड़नगर	16.0				
7. नागदा	10.0				
***जिला आगर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	4.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	11.0				
4. कालापीपल	20.0				
5. गुलाना	2.0				

1	2	3	4	5	6
***जिला देवास :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. पागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त
1. थांदला	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोबट	2.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
2. अलीराजपुर	3.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	5.0				
4. सोण्डवा	27.0				
5. उदयगढ़	2.0				
6. च.शे.आ. नगर	13.0				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) गेहूं, चना, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	5.8				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	35.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		मूँगफली, तुवर, गेहूँ, चना, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .		राई-सरसों समान.		
4. खरगौन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	4.6		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. अजड़	. .				
7. पाटी	. .				
8. वरला	. .				
9. निवाली	. .				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. ०.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	2.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	5.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	51.8				
4. बासौदा	100.6				
5. नटेरन	39.0				
6. विदिशा	53.5				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	3.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	77.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	23.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	32.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	4.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	3.0				
4. नसरुल्लागंज	3.0				
5. बुधनी	10.0				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) . .	. .	
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	14.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	24.0				
4. चिचोली	3.2				
5. बैतूल	6.6				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	6.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	16.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	0.8		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	18.0				
6. पिपरिया	18.2				
7. वनखेड़ी	21.4				
8. पचमढ़ी	86.8				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ बिगड़ी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	24.8	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	13.1		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	33.2				
4. मझौली	33.0				
5. कुण्डम	28.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	35.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	38.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	6.0				
4. बहोरीबंद	13.4				
5. ढीमरखेड़ा	2.0				
6. बड़वारा	. .				
7. बरही	31.0				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	19.3		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	47.4		(2) . .		
3. नैनपुर	128.5				
4. मण्डला	111.8				
5. घुघरी	39.8				
6. नारायणगंज	19.2				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं मक्का की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	31.0		4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	43.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	6.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	30.2		(2) . .		
3. परासिया	17.2				
4. जामई (तामिया)	30.0				
5. सोंसर	36.2				
6. पांढुर्णा	5.8				
7. अमरवाड़ा	19.2				
8. चौरई	40.1				
9. बिछुआ	30.0				
10. हर्रई	29.0				
11. मोहखेड़ा	11.6				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	19.0		4. (1) धान, मक्का, मूँग, उड़द, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	3.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. लखनादौन	50.6				
4. बरघाट	21.5				
5. कुरई	30.0				
6. घंसौर	57.0				
7. धनोरा	76.7				
8. छपारा	35.7				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	127.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	120.1		(2) . .		
3. बैहर	44.0				
4. वारासिवनी	57.0				
5. कटंगी	51.3				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, अशोकनगर, सतना, आगर, देवास से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(822)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.